Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर
दीपक कुमार वगै बनाम हरजी वगै0
किस्म मुकदमा 225आर टी एक्ट....अपील संख्या 33/2025 GCMS NO 2025/63

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.4.25	अपील श्री जयप्रकाश सैनी एड. ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो/सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.7.24 को सायल/रेस्पो0 के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी जाकर आराजी हाल ख0न0 561/1093 के नवीन ख0न0 1641/561 रकबा 0.32 है0, 1642/561 रकबा 0.1067 है0 जिसमे सायल/रेस्पो0 का 560/1059 को शामिल होना मानते हुए उक्त ख0न0 की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु एवं निर्माण कार्य नही करने हेतु आगामी पेशी दिनांक 27.8.24 तक गैरसायलान/अपीलांट को पाबन्द किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2076–79 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा न0 1641/561 रकबा 0.3200 है0 एवं ख0न0 1642/561 रकबा 0.1067 है0 की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार को विधि विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 51/24 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.7.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे गैरसायलान /अपीलांट से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त किया जाकर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए अन्दर 2 माह मे प्रकरण को अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। अपीलांट/गैरसायलान को पा[illegible] जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्[illegible] कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner